# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ब्रह्मलाल जाट आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 109/2020 – निगरानी

1. श्रीमती सॉवरी पत्नी सुखा लुहार निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
2. गणेश आत्मज सुखा लुहार निवासी अगरपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. श्रीमती कमला देवी पत्नी छीतरमल कोठारी निवासी पुरानी धानमण्डी, भीलवाड़ा
2. विजय कुमार आत्मज छीतरमल कोठारी निवासी पुरानी धानमण्डी, भीलवाड़ा
3. राजेन्द्र आत्मज छीतरमल कोठारी निवासी पुरानी धानमण्डी, भीलवाड़ा
4. श्रीमती रेखा पुत्री छीतरमल कोठारी पत्नी दिलीप कुमार हिंगड़ निवासी चित्तौड़गढ़
5. ग्राम पंचायत हलेड़, जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत हलेड़, तहसील व जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

**निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधि0 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत हलेड़, बमामले पत्रावली सं0 50/1971 पट्टा सं0 13 जारी दिनांक 01–12–1971**

उपस्थित –

1. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

## निर्णय

दिनांक 30.10.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार सं0 05 ग्राम पंचायत हलेड़ द्वारा ग्राम अगरपुरा में एक पट्टा, पट्टा स० 13 दिनांक 01–12–1971 को जरिये पत्रावली सं0 50 सन् 1971 के जरिये गैर निगराकार सं0 01 लगायत 04 के पिता/पति छीतरमल कोठारी के नाम जारी फरमाया गया। गैर निगराकार सं0 01 लगायत 04 स्व0 छीतरमल के वैध वारिसान पत्नी, पुत्र एंव पुत्री हैं। गैर निगराकार सं0 05 द्वारा जब आलोच्य पट्टा जारी किया था उस तिथि मिति को पट्टे वाली भूमि आबादी भूमि दर्ज रेकार्ड नहीं थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा बिलानाम भूमि का पट्टा जारी कर दिया तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज आराजी सं० 436 बिलानाम भूमि की खातेदार राज्य सरकार होती थी तथा बिलानाम किस्म की भूमि पर ग्राम पंचायत का कोई हक व अधिकार विधिक तौर नहीं होता हैं। गैर निगराकारान् के पिता/पति के नाम जारीशुदा तथाकथित पट्टे वाली भूमि बिलानाम होने से दिनांक 24–12–1974 को आराजी

अति. जिला कलक्टर

पंचायत हलेड़ द्वारा नहीं की गयी हैं। जबकि आलोच्य पट्टे में जो साईज 30 बाई 20 वर्ग गज (जो लगभग 5000–5500 पाँच हजार –साढ़े पाँच हजार वर्ग फिट होता) वर्णित की गयी उस अनुसार पंचायत की बेशकिमती भूमि केवल मात्र 105/–रू0 में ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी प्रावधान की पालना किये ही विक्रय कर दी गयी। उक्त बेशकिमती भूखण्ड की यदि निलामी द्वारा विक्रय किया जाता तो भूखण्ड की वाजिब व प्रोपर किम्मत पंचायत कोष में जमा हो सकती थी। गैर निगराकारगण सं0 01 लगायत 04 के पिता/पति को विधिवत् पट्टा जारी किये जाने की पत्रावली ग्राम पंचायत हलेड़ में उपलब्ध नहीं हैं, तथा स्व० छीतरमल को कब्जा सिपूर्द करने का कोई प्रमाण भी नहीं हैं तथा वर्ष 1971 में पट्टा हेतू आवेदन किया व उसके बाद करीबन 3–4 वर्ष बाद पट्टे की राशि जमा करवाये जाने का कथन किया ग्राम न्यायालय, सुवाणा में प्रस्तुत वाद पत्र में किया गया, ऐसी परिस्थितियों में गैर निगराकारगण की ओर से कथित कथन विधिक तौर न्यायसम्मत नहीं हैं। राशि देरी से जमा कराने का कोई विधिक कारण भी नहीं बताया जा रहा हैं, तथा जो राशि जमा कराने का कथन किया जा रहा हैं वह भी पट्टे के लिये राशि जमा होना प्रमाणित नहीं हैं तथा पंचायत राज नियम 1996 में निलामी के समय कुछ राशि जमा कराने पर ही निलामी में भाग लिया जाने व अवशेष राशि विहित समयावधि में ही जमा करवायी जानी कानूनन आवश्यक हैं। उक्त प्रावधानों की पालना बाबत् गैरनिगराकारगण का कोई कथन नहीं हैं। गैरनिगराकारगण द्वारा ग्राम न्यायालय, सुवाणा में प्रस्तुत वाद में स्पष्ट तौर कथन किया गया कि गैरनिगराकारगण के पिता/पति छीतरमल को एक अन्य भूखण्ड सं0 07 का भी पट्टा जो कि इसी पट्टे के पास पिछे इसी साईज दिया जाना वर्णित किया गया। इस प्रकार स्व० छीतरमल न तो भूमिहीन व्यक्ति थे और न ही गाँव अगरपुरा के निवासी थे और न ही इतनी बड़ी साइज के भूगाग की निवास हेतु आवश्यकता ही रहती है और उक्त दोनों ही पट्टे निवास के आशय से ही लिये गये हैं। भौतिक कब्जे के अभाव में भी पट्टे में वर्णित नपती का न तो मौके पर कोई भूखण्ड ही हैं, और न ही उस पर कब्जा ही गैर निगराकारगण का रहा हैं तथा पटटे में वर्णित शर्त के अनुसार आज दिन तक मौके पर कोई निर्माण भी नहीं किया गया हैं। जबकि मौके पर पहले पुराने केलूपोश का मकान था और जब उक्त मकान मिसमार होकर जर्जर हो गया तो उसके स्थान पर निगराकारगण की ओर से नया निर्माण करने लगे तो गैर निगराकारगण ने

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निर्माण कार्य को रूकवाये जाने हेतु एक वाद ग्राम न्यायालय, सुवाणा में प्रस्तुत किया गया। जहाँ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण भी करवाया गया जहाँ गैर निगराकारगण का कोई कब्जा व भूखण्ड जाहिर नहीं आया और गैर निगराकारगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 39 नियम 1 व 2 व्य० प्र० सं० खारीज हुआ। गैर निगराकारगण द्वारा निगराकारगण के पति/पिता सुखा लुहार के नाम जारीशुदा पट्टे को निरस्त कराने हेतू एक निगरानी इस न्यायालय में भी प्रस्तुत की गयी। उक्त निगरानी प्रकरण सं0 01/2016 बअनवान कमला देवी व अन्य बनाम सरकार व अन्य होकर न्यायालय द्वारा दिनांक 13–04–2016 को खारीज फरमा दी गयी। उक्त निगरानी प्रकरण में भी न्यायालय द्वारा निगराकारगण का कब्जा माना व मौके पर निर्माण हो कर निगराकारगण का निवास होना माना गया। इस वजह से भी गैर निगराकारगण के पति/पिता के नाम जारीशुदा आलोच्य पट्टा फर्जी, कुटरचित होने से अपास्त होने योग्य हैं। हर ऐक दृष्टिकोण से ग्राम पंचायत इलेड द्वारा पारित आदेश व पट्टा केपीकुअस आरबीदेरेरी एंव साउण्ड ज्युडिसियल प्रींसीपल्स के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। ग्राम न्यायालय, सुवाणा के आदेश दिनांक 01–08–2018 को पारित फरमाया गया तथा आदेश के पढने से ग्राम पंचायत के द्वारा पारित पटटे की प्रति पत्रावली में प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा उसे प्रथम दृष्टया साबित नहीं होना माना जाने और उक्त विवेचन आदेश दिनांक 01–08–2018 में किये जाने पर गैरनिगराकारगण सं0 01 लगायत 04 के पति/पिता के नाम जारीशुदा पढ़ें के बाबत होने पर निगराकारगण को फर्जीयात की जानकारी आदेश से हुई हैं। निगरानी के लिये कोई मियाद पंचायत अधि0 में विहित नहीं हैं। फिर भी उक्त फर्जी पट्टे की जानकारी ग्राम न्यायालय, सुवाणा के आदेश से होने जानकारी से अन्दर अवधि यह निगरानी सादर प्रस्तुत हैं। अतः प्रार्थना हैं कि निगरानी निगराकारगण स्वीकार फरमाायी जाकर पट्टा स० 13 दिनांक 01–12–1971 को जरिये पत्रावली सं0 50 सन् 1971 के जरिये गैरनिगराकारगण सं0 01 लगायत 04 के पिता/पति छीतरमल कोठारी के नाम जारीशुदा को खारीज फरमाया जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 की ओर से जवाब/लिखित बहस पेश की गयी। दौराने बहस विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 के अधिवक्ता

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

परिस्थितियों में गैर निगराकारगण की ओर से कथित कथन विधिक तौर न्यायसम्मत नहीं हैं। राशि देरी से जमा कराने का कोई विधिक कारण भी नहीं बताया जा रहा हैं, तथा जो राशि जमा कराने का कथन किया जा रहा हैं वह भी पट्टे के लिये राशि जमा होना प्रमाणित नहीं हैं। गैर निगराकारगण द्वारा निगराकारगण के पति/पिता सुखा लुहार के नाम जारीशुदा पट्टे को निरस्त कराने हेतू एक निगरानी इस न्यायालय में भी प्रस्तुत की गयी। उक्त निगरानी प्रकरण सं0 01/2016 बअनवान कमला देवी व अन्य बनाम सरकार व अन्य होकर न्यायालय द्वारा दिनांक 13–04–2016 को खारीज फरमा दी गयी। उक्त निगरानी प्रकरण में भी न्यायालय द्वारा निगराकारगण का कब्जा माना व मौके पर निर्माण हो कर निगराकारगण का निवास होना माना गया। इस वजह से भी गैर निगराकारगण के पति/पिता के नाम जारीशुदा आलोच्य पट्टा फर्जी, कुटरचित होने से अपास्त होने योग्य हैं। हर ऐक दृष्टिकोण से ग्राम पंचायत इलेड द्वारा पारित आदेश व पट्टा केपीकुअस आरबीदेरेरी एंव साउण्ड ज्युडिसियल प्रींसीपल्स के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि निगरानी निगराकारगण स्वीकार फरमायी जाकर पट्टा स० 13 दिनांक 01–12–1971 को जरिये पत्रावली सं0 50 सन् 1971 के जरिये गैर निगराकारगण सं0 01 लगायत 04 के पिता/पति छीतरमल कोठारी के नाम जारीशुदा को खारीज फरमाया जायें।

विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 के अधिवक्ता ने अपने जवाब/लिखित बहस में अंकित किया कि विपक्षी संख्या 05 द्वारा जिस दिन पट्टा जारी किया गया था, उस दिन पट्टे वाली भूमि आबादी भूमि में दर्ज रिकॉर्ड थी और आबादी भूमि होने के कारण पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार होने से विधिवत् तौर नियमित रूप से पट्टा जारी किया गया। विपक्षीगण के पिता/पति के नाम पट्टा जारी दिनांक 01–09–1974 को जारी करने के पश्चात् दिनांक 24/12/1974 को पट्टे जारी किये गये, जो गलत रूप से जारी किये गये हैं। निगराकार वहां के मूलतः निवासी नहीं थे । निःशुल्क पट्टा जारी करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को नहीं था, क्योंकि तत्समय आबादी की भूमि नहीं थी। आबादी की भूमि में तहसीलदार को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। छीतरमल द्वारा भूखण्ड संख्या 13 व 07 की राशि दिनांक 28/08/1974 को पंचायत में जमा कराई, जिसका इंद्राज पंचायत के रोकड़ पाना नंबर 20 में किया गया है, तत्पश्चात्

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि ग्राम पंचायत हलेड़ द्वारा विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 के पिता/पति छीतरमल कोठारी के नाम दिनांक 01.12.1975 को पटटा/प्लॉट संख्या 13 क्षैत्रफल 600 वर्गगज का एवं पटटा/प्लॉट संख्या 07 क्षैत्रफल 600 वर्गगज कुल क्षैत्रफल 1200 वर्गगज का जारी किया जाना पत्रावली से जाहिर होता हैं। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियमों के तहत ग्राम पंचायत को अधिकतम 300 वर्गगज तक के क्षैत्रफल का ही पटटा जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत हलेड ने विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 के पिता/पति के नाम एक ही दिनांक को 02 (दो) पटटे जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियमों के नियमों को ताक में रखकर विधि विरूद्व पटटे जारी किया जाना स्पष्ट होता हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध आराजी संख्या 436 नये नम्बर व साबिक नं. 196 की जमाबंदी की प्रति से जाहिर होता हैं कि गैर निगराकार सं0 05 द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी किया था, उस दिनांक को पट्टे वाली भूमि आबादी भूमि में दर्ज रेकार्ड नहीं होकर बिलानाम सरकार थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा बिलानाम भूमि का पट्टा जारी कर दिया तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज बिलानाम भूमि की खातेदार राज्य सरकार होती थी तथा बिलानाम किस्म की भूमि पर ग्राम पंचायत को पटटा जारी करने का कोई हक व अधिकार विधिक तौर नहीं होता हैं।

पत्रावली पर गैर निगराकार संख्या 01 से लगायत 04 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब/लिखित बहस में अंकित किया कि छीतरमल द्वारा भूखण्ड संख्या 13 व 07 की राशि दिनांक 28/08/1974 को पंचायत में जमा कराई, जिसका इंद्राज पंचायत के रोकड़ पाना नंबर 20 में किया गया है, तत्पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये।

गैर निगराकार के उक्त कथन से ही स्पष्ट होता हैं, कि गैर निगराकार संख्या 01 से लगायत 04 के पिता/पति को दो पटटे जारी किये गये। उक्त कथन में एक विरोधाभास भी स्पष्ट होता हैं कि गैर निगराकार छीतरमल द्वारा राशि जमा कराने के उपरांत दिनांक 28.08.1974 को पटटे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध पटटे की प्रतिलिपि से स्पष्ट जाहिर होता हैं कि उक्त पटटे दिनांक 01.12.1971 को जारी किये हुये हैं। गैर निगराकार संख्या 01 से लगायत 04 के उक्त कथनों से जाहिर होता हैं, कि गैर निगराकार को स्वयं के पटटे की पूर्ण जानकारी नहीं हैं एवं गैर

अति. जिला कलक्टर

निगराकार द्वारा उक्त प्रश्नगत पटटे की कोई प्रमाणित प्रति एवं प्रश्नगत पटटे के संबंध में कोई राशि जमा कराने की रसीद की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गयी।

निगराकार द्वारा उक्त प्रश्नगत पटटे के खारिज किये जाने के संबंध में लगाये गये आक्षेपों को निराधार साबित करने हेतु, गैर निगराकार संख्या 01 से लगायत 04 द्वारा कोई पुष्ट व प्रमाणिक दस्तावेज/ साक्ष्य पेश नही किये गये। जिससे यह स्पष्ट होता हैं प्रश्नगत पटटा पंचायतीराज अधिनियमों के नियमों के विपरीत, विधि विरूद्व जारी किया गया हैं एवं इस प्रकार के विधि विरूद्व तरीके से जारी पटटे प्रारब्ध से ही शुन्य होकर खारिज होने योग्य हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रश्नगत पटटा संख्या 13 दिनांक 01.12.1971 पूर्णरूपेण राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों के नियमों के विरूद्व होने से प्रश्नगत पटटा संख्या 13 दिनांक 01.12.1971 जरिये पत्रावली संख्या 50/1971 प्रारब्ध से ही शून्य होकर खारिज होने योग्य ठहरता हैं। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

## आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत हलेड़ तहसील व जिला भीलवाडा के पटटा संख्या 13 दिनांक 01.12.1971 जरिये पत्रावली संख्या 50/1971 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत हलेड तहसील व जिला भीलवाडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)